न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

अपील संख्या 14 / 2013

1. श्रीमती किशनी देवी पत्नि स्व0 श्री दुर्गाशंकर निवासी लक्ष्मी भवन,बारी मोहल्ला, वार्ड सं. 6 बडी बस्ती, पुष्कर जिला अजमेर .....**अपीलान्ट**

बनाम

1. श्री कृष्ण गोपाल पुत्र स्व0 श्री दुर्गाशंकर
2. श्रीमती तेजप्रभा पत्नी स्व0 सत्यनारायण
3. चान्दमल पुत्र स्व श्री दुर्गाशंकर

सभी निवासीगण लक्ष्मी भवन, बारी मोहल्ला, वार्ड सं. 6, बडी बस्ती, पुष्कर जिला–अजमेर .....**रेस्पोडेन्टस**

माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007की धारा 16.1 के अधीन व नियम 15 के तहत अपील

आदेश दिनांक :– 22.09.2016

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिया के पति के स्वर्गवास उपरान्त छोडी गई चार अचल पैतृक सम्पतियॉ एवं एक पैतृक सम्पति जुजमानी का दिनांक 05.12..1980 को प्रार्थिया के पति, पुत्र कृष्णगोपाल व सत्यनारायण द्वारा हस्ताक्षरित एवं कृष्णगोपाल की लिखावट से मकान लक्ष्मी भवन एवं जुजमानी के हिस्से, बॅटवारे कर सबने अलग–अलग हिस्से संभाल लिये थे। सभी पैतृक सम्पतियॉ में निहित हक हिस्सों को प्रार्थिया एवं उसकी तीनो पुत्रियों द्वारा दिनांक 08.01.2008 को निष्पादित रिलीज डीड से प्रार्थिया के तीनों पुत्रों के हक में त्याग दिया था। उसी दिन प्रार्थिया के तीनों पुत्रों द्वारा कृषि भूमि के विकय से प्राप्त प्रतिफल का एक भाग प्रार्थिया के कल्याण हेतु, स्वेच्छा से उपयोग–व्ययन करने, पुत्रियों को देने हेतु एक वचन पत्र लिखकर दिया था। प्रार्थिया के पुत्र सत्यनारायण का दिनांक 15.02.2009 को निधन होने पर उसकी पत्नी तेजप्रभा, पुत्र चान्दमल व कृष्णगोपाल द्वारा पुनः ऐसा ही वचन पत्र लिख दिया था। उक्त कृषि भूमि बाबत विभिन्न कार्यवाही करने हेतु इनके द्वारा श्याम पुत्र चान्दमल को मुखत्यारआम नियुक्त किया गया था। किन्तु कृष्णगोपाल एवं तेजप्रभा द्वारा गुप्त रूप से कृषि भूमि को विकय कर प्रार्थिया को देय रकम ना देकर उक्त वचन पत्र की पालना नहीं की। प्रार्थिया से जमीन बेचने की बात छुपाकर, अनेक झूठ बोलकर सारी रकम गबन करने की नियत से श्याम पाराशर का मुख्तयारनामा निरस्त कर दिया। कृष्ण गोपाल एवं तेजप्रभा आदि द्वारा कर्भ भी प्रार्थिया की देख–भाल, दवा, इलाज, भरण–पोषण ,आर्थिक गुजारा देने आदि किसी कृर्तव्य का पालन नहीं किया गया। लिखित वचन पत्रों के सहारे प्रार्थिया को जमीन व लाभो से वंचित करने की नियत से धोखे, षडयन्त्र व कपट से कराई गई रिलीज डीड को शुन्य घोषित कर दिनांक 8.01.2008 व दिनांक 12.03.2009 की पालना करवाने तथा उक्त कृषि भूमियों बाबत प्रार्थिया के नाम पुनः नामान्तकरण दर्ज करवाने के निवेदन के पीठासीन अधिकारी (उपखण्ड

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

अधिकारी,अजमेर) भरण पोषण अधिकरण के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तगर्त माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 23 के अधीन प्रस्तुत किया गया जो उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा आदेश दिनांक 06.03.2013 से खारिज कर दिया। इस आदेश से असन्तुष्ट होकर इसे अवैद्य, त्रूटिपूर्ण बताते हुए निरस्त करने, रीलीज डीड दिनांक 08.01.2008 को निरस्त व शून्य घोषित करवाने तथा खसरा नं0 2033,2034,2035 की कृषि भूमि में 1/4 हिस्से का प्रार्थिया के नाम नामान्तकरण दर्ज करवाने आदि इस्तदुआ के प्रार्थिया द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पों. को नोटिस जारी किये गये तथा अधिनस्थ न्यायालय से सम्बन्धित रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पों0 उपस्थित आये। अपीलार्थीया ने पुत्रियों के पास निवास करने तथा वृद्वावस्था एवं बीमारियों की वजह से अपील सुनवाई दौरान उपस्थित रहने एवं उनकी ओर से समुचित पैरवी/कार्यवाही अपने दोहिते राजकुमार के द्वारा किये जाने के निवेदन के, इस हेतु निष्पादित मुख्तयारनामा खास–प्राधिकार पत्र प्रतिनिधित्व की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत जवाब एवं प्रार्थना पत्रादि सम्बन्धित पक्षकारान को दिलाते हुए शामिल मिसल किये गये। अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण वास्ते सुनवाई नियत किया गया। दौराने सुनवाई प्रकट तथ्यों के मध्यनजर वस्तुस्थिति की रिपोर्ट/जानकारी हेतु सम्बन्धित पटवारी हल्का को तलब किया गया। पटवारी हल्का पुष्कर द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित रिर्पोट मय रेकार्ड प्रस्तुत की गई। तत्पश्चात अप्रार्थी सं0 3 श्री चान्दमल की और से उनके पुत्र श्याम पाराशर ने उनकी वृद्वावस्था व अस्वस्थता का हवाला देते हुए उनकी ओर से अपने हक में निष्पादित प्रतिनिधि प्राधिकार पत्र की प्रति सलंग्न करते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अपीलान्ट किशनी देवी की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत न्यायोचित सुनवाई करने तथा प्रार्थिया भॅवरी देवी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते पक्षकार संयोजित कर सुनवाई करने, अपील तथ्यों के समर्थन में शपथ पत्र तथा फर्द दस्तावेज एवं प्रार्थना पत्र प्रकरण में पूरी जांच कर निष्पक्षता से न्यायपूर्ण सुनवाई करने के प्रस्तुत किये गये। उपस्थित अपीलार्थिया, रेस्पो0 3 श्री चान्दमल को तत्पश्चात उपस्थित उभय पक्षकारान प्रतिनिधि श्याम पाराशर को सुना गया।

अपीलार्थी की ओर से उनके उपस्थित प्रतिनिधि ने प्रस्तुत अपील/प्रार्थना पत्र तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः निवेदन किया कि दिनांक 08.01.2008 को अपीलान्ट के तीन पुत्रों चान्दमल,कृष्णगोपाल,व सत्यनारायण ने विभिन्न सम्पतियों से अपीलान्ट व उसकी तीन पुत्रियों के हक हिस्से उत्तराधिकार को अपने हक में त्याग करने बाबत रिलीज डीड निष्पादन के समय व उसके एक पुत्र सत्यनारायण के निधन के पश्चात दोनों पुत्रों एवं बहु तेजप्रभा ने लिखित वचन पत्र दिया था कि कृषि भूमि के विक्रय से प्राप्त रकम से एक हिस्सा अपीलान्ट को देंगे। किन्तु अपीलान्ट के पुत्र कृष्णगोपाल एवं बहु तेजप्रभा पत्नी स्व0 सत्यनारायण ने गुप्त रूप से उक्त कृषि भूमि का विक्रय कर भारी रकम प्राप्त कर ली एवं प्रार्थिया को उसके हिस्से की रकम देने से साफ मना कर दिया। इससे व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा माता पिता व वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण और कल्याण अधिनिमय के तहत रीलीज–डीड को, षडयन्त्र–धोखे व छल–कपट से कराने कारण अवैद्य व शून्य घोषित कराने हेतु प्रार्थना पत्र उप जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसे अधिनस्थ न्यायाधिकरण द्वारा बिना समुचित एवं विधिक जांच, साक्ष्य सुनवाई,परीक्षण किये जान बूझकर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों व अभिकथनों को नजर अन्दाज करते हुए खारीज कर दिया जो अवैद्य,त्रूटिपूर्ण होने से निरस्तनीय हैं जिसे उक्त अधिनियम की

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

धारा 23.1 के तहत निरस्त किया जाकर दिनांक 08.01.2008 को निष्पादित रिलीज डीड को निरस्त व शून्य घोषित की जावें तथा खसरा नं0 2033, 2034,2035 की कृषि भूमि बाबत किये गये विक्रय–करार आदि को निरस्त करते हुए अपीलार्थीया के नाम 1/4 हिस्से का नामान्तकरण दर्ज कराये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

रेस्पोडेन्टस सं0 1 व 2 उपस्थित नहीं। वक्त सुनवाई बार–बार आवाजे लगवाने पर भी उपस्थित नहीं आये। पत्रावली पर उपलब्ध रेस्पोडेन्ट सं0 एक कृष्णगोपाल द्वारा दिनांक 28.6.2013 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया जिसके मुख्यतः कथन है कि अपीलार्थी रेस्पो0 की माताजी हैं। पिताजी की मृत्यु के बाद सैकडो बार हजारों रूपये एवं दवाईयॉ आदि उनके द्वारा लाकर उनको दी गई है। अगस्त 2012 तक माताजी उसके पास ही खाना खाती रही है। उनके द्वारा विवादित कृषि भूमि के बेचान कर भारी रकम प्राप्त करने का आरोप मनगढन्त कूटरचित व निराधार है। पुष्कर राज में हमारे पिताजी जुजमानी का कार्य करते थे जिससे लाखो रूपया माह की आमदनी होती थी। रेस्पोडेन्ट सं0 3 चान्दमल हम तीनों भाईयों में सबसे बडा होने के नाते पिताजी के साथ ही जुजमानी का कार्य करते थे। सन् 2002 में अकस्मात हृदयघात से पिताजी की मृत्यु होने पर जेवर आदि परिसम्पतियों पर चांदमल एवं इसके पुत्र ने षडयन्त्र पूर्वक कब्जा कर लिया, मुझे एवं मेरे छोटे भाई को एक रूपया नहीं दिया। जुजमानी में से भी हमें आंशिक भाग देकर अधिकाशं जुजमानी अपने पास रख ली, जिसे सम्भालने हेतु पॉच अन्य ब्राहम्णों को नियुक्त कर रखा है। हमारी माताजी के पास लाखो रूपये विभिन्न बैकों के खाते में जमा हैं तथा अनेक व्यक्तियों को रकम ब्याज पर दे रखी है। मैं आज भी पूर्व की तरह माताजी के भरण–पोषण के दायित्व निर्वहन हेतु तैयार हूँ। हमारी माताजी वर्तमान में मेरे बडे भाई चान्दमल एवं उसके एडवोकेट पुत्र श्याम सुन्दर के बहकावे में आकर यह समस्त कार्यवाही कर रही है। उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 06.03.2013 को अवैद्य,त्रूटिपूर्ण एवं निरस्तनीय बताया जाकर न्यायिक प्रकिया पर झूठा दोषारोपण किया गया हैं जो मानसिक शून्यता का प्रमाण एवं न्यायालय एवं न्यायिक प्रकिया की अवमानना व अनादर है।

हमने उपस्थित उभय पक्ष को सुना, अपील तथ्यों एवं रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन मनन किया। उपस्थित उभय पक्ष द्वारा हमारे समक्ष व्यक्त कथनों एवं प्रकट तथ्यों तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों पर समस्त दृष्टिकोण से विवेचन उपरान्त अधिनस्थ अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित आदेश में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है। अपीलान्ट, अपील में वांछित अनुतोष रिलीज डीड को शून्य घोषित करवाने तथा खसरा नं0 2033,2034,2035 की कृषि भूमि में 1/4 हिस्से का नामान्तकरण दर्ज करवाने के अनुतोष हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही करें। अतः अपील चलने योग्य नहीं हाने से खारिज की जाती है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 22.09.2016 को सरे इजलास सुनाया गया।

22/9/16

(गौरव गोयल)
जिला मजिस्ट्रेट एवं पीठासीन अधिकारी
अपीलीय भरण पोषण न्यायाधिकरण
अजमेर

Scanned by CamScanner